सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 523

14/07/2017

पी0आई0ओ0–सह–डीएम सारण को लगा आर्थिक दण्ड

पटना–14 जुलाई, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–86767/12–13 में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी, छपरा (सारण) पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक मो0 सुल्तान हुसैन इंद्रासी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने और मांगे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने को चलते अधिनियम की धारा–20 (1) के तहत 25000/– (पचीस हजार रुपये मात्र) का अर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही आयुक्त सारण प्रमंडल सारण/कोषागार पदाधिकारी, छपरा सारण को आदेश की प्रति भेजते हुए निदेशित किया है कि लगाये गए आर्थिक दण्ड की कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत कराये। इस हेतु सचिव, राज्य सूचना आयोग को भी प्रतिवेदन प्राप्ति का निदेश दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 28 अगस्त, 2017 को अपराह्न ढाई बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******